न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 18/2021 बउनवानी जी.एस.राजावत बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार बौंली निवासी ग्राम रसूलपुरा सरवरी, प.बडागांव सरवर तहसील बौंली

GCMS No-2021/47

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
09.04.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार बौंली की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 15.10.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. ग्राम रसूलपुरा व चक रसूलपुरा का नक्शा सेटलमेंट,2005 से पूर्व एवं सेटलमेंट के बाद का सम्पूर्ण नक्शा पठनीय उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं बौंली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक भू.अ./2021/146 दिनांक 07.04.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 15.10.2020 मे चाही गयी सूचना (नक्शा) तहसील कार्यालय मे उपलब्ध नही होने तथा संबंधित पटवारी द्वारा तहसील कार्यालय मे उक्त ग्रामो का नक्शा जमा करवाने संबंधी कोई रिकार्ड/उल्लेख उपलब्ध नही होने के कारण सूचना दिया जाना सम्भव नही है। अब पटवारी हल्का बडागांव सरवर को उक्त ग्रामों के पटवार मण्डल के नक्शे शीघ्र जमा कराने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। नक्शे प्राप्त होते ही वांछित सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवा दी जावेगी। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 15.10.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड (सेटलमेंट से पूर्व का नक्शा) तहसील कार्यालय मे उपलब्ध नही होना व संबंधित पटवारी द्वारा तहसील कार्यालय मे जमा करवाने से संबंधित कोई रिकार्ड उपलब्ध नही होना बताकर सूचना उपलब्ध नही करवायी है जो खेदजनक है। अतः तहसीलदार बौंली को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम रसूलपुरा व चक रसूलपुरा का सेटलमेंट से पूर्व का नक्शा 7 दिवस मे तलाश करवाकर अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करावे यदि उक्त रिकार्ड उपलब्ध नही हो पाता है तो संबंधित कार्मिक की जिम्मेदारी तय कर उसके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:24:05 IST
Reason: SelfAttested